<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 25.09.2025</u>

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लूट की झूठी घटना का 06 घण्टे में सफल अनावरण, आरोपी वादी से ही बरामद हुए सभी जेवरात व नकदी–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–750/25, धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम नि0 म0नं0 265 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को उसके घर से ही गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से सभी सोने चांदी के आभूषण व नकदी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.09.2025 को वादी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम नि0 म0नं0 265 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि लगभग सायं 7:30 बजे मेरी पत्नी अपने घर के प्रथम तल स्थित किचन में कार्य कर रही थी। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति अचानक घर में घुस आए, मेरी पत्नी के चेहरे पर स्प्रे मारकर लात–घूँसों से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में अभियुक्तगण घर में रखे सोने–चाँदी के जेवरात (02 अदद सोने के हार, 5 अदद चैन, 8 अदद चूड़ी, 7 अदद अंगूठी, कान के झुमके व 07 अदद टप्स, 08 जोड़ी चाँदी की पायल, 05 जोड़ी बिछिया) व नकदी 70–80 हजार रूपये लूटकर फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करवायी गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित 05 पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 को0 नगर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल का गहन मौका–मुआयना, साक्ष्य संकलन, डिजिटल व मैनुअल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। पुलिस जांच के दौरान वादी द्वारा बताए गए घटना विवरण में कई तथ्यों पर विरोधाभास पाया गया। आस–पास के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए, आस–पास के लोगों से पूछताछ की गयी साथ ही तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन किया गया तो जांच में लूट की घटना संदिग्ध पाई गई। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने वादी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वयं ही घटना को गढ़ने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात स्वीकार की। इस घटना का गोण्डा पुलिस द्वारा 06 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की निशानदेही व कब्जे से घर में ही छुपाए गए सभी सोने–चाँदी के जेवरात एवं नकदी बरामद की गयी। अभियुक्त बुधरत्न को गिरफ्तार कर थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त बुधरत्न द्वारा बताया गया कि उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है तथा दो बहनें लखनऊ में रहती हैं, अभियुक्त की मां का निधन दिसम्बर 2024 में हो गया था और वर्तमान में वह अपनी पत्नी व पिता के साथ आवास विकास कालोनी, गोण्डा में रहता है, उसके पिता जिला अस्पताल गोण्डा से सेवानिवृत्त हैं और किसी भी आर्थिक कार्य में उसकी मदद नहीं करते, अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसकी मां ने उसकी बहनों की शादी के लिए सोने–चांदी के जेवरात बनवाए थे और अब दोनों अविवाहित बहनों की उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन वह इन जेवरात को अपनी बहनों की शादी में देने की जिम्मेदारी से बचना चाहता था, इसलिए क्षेत्र में फैली चोरी की अफवाहों का सहारा लेकर उसने

घर में रखे आभूषणों व नकदी को सुरक्षित करने तथा बहनों को गहने न देने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को साथ मिलकर लूट की झूठी घटना गढ़ी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम नि0 म0नं0 265 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–750/25, धारा 309(4) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 05 अदद चैन।
02. 07 जोड़ी टप्स।
03. 04 अदद चूड़ी।
04. 03 अदद अंगूठी।
05. 03 अदद बच्चो का ओम।
06. 01 अदद पेडेन्ट।
07. 02 अदद नाक की कील।
08. 01 अदद चांदी का सिक्का।
09. 01 अदद अंगूठी बुद्धा जी की।
10. 01 अदद कमर पेठी चांदी की।
11. 07 अदद पाजेब।
12. 02 अदद बच्चों के कंगन।
13. 09 अदद बिछुआ।
14. 23,310/– रू0 नकद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 विवेक त्रिवेदी को0 नगर मय टीम।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.09.2025

सेण्ट जेवियर्स स्कूल में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम, पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा छात्र–छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक–

गोण्डा। आज दिनांक 25.09.2025 को जनपद गोण्डा के सेण्ट जेवियर्स स्कूल में मिशन शक्ति 5.0" के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के छात्र–छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मिशन शक्ति अभियान केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने का भी उद्देश्य रखता है, जिससे वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। पुलिस अधीक्षक महोदय ने छात्र–छात्राओं से स्कूल आने–जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों, छेड़छाड़ अथवा अन्य समस्याओं पर सुझाव प्राप्त किए और भरोसा दिलाया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर्स जैसे–112 (आपातकालीन सहायता), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन/सहायता), 1930 (साइबर हेल्पलाइन) आदि की जानकारी दी और आवश्यकतानुसार इनका उपयोग करने की अपील की। साथ ही छात्र–छात्राओं को विशेष रूप से साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सीख दी। उन्होंने बताया कि अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, बैंक संबंधी किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी किसी के साथ न दें और सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता बनाए रखें। साथ ही, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दे। पुलिस अधीक्षक महोदय ने छात्र–छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों के बारे में बताया और कहा कि प्रत्येक छात्रा को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवाओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।कार्यक्रम के अंत में महोदय ने विद्यालय की ताइक्वांडो टीम की उत्कृष्ट छात्र/छात्राओं को प्रशस्तिपत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और उन्हें आगे भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र–छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उन्हें साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया खतरों, सिम स्वैप और ओटीपी चोरी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना और आवश्यक आत्मरक्षा तकनीकें सिखाना था।

इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र–छात्राएँ एवं स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि सहित अमर उजाला के पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 25.08.2025</u>

<u>एससीपीएम कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा सेमीनार के माध्यम से छात्र–छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 25.09.2025 को एससीपीएम कॉलेज, गोण्डा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, श्री मनोज कुमार रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा छात्र–छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने छात्र–छात्राओं से कॉलेज आने–जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों, जैसे छेड़छाड़, उत्पीड़न या अन्य समस्याओं पर चर्चा की और सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है। महोदय द्वारा छात्र–छात्राओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर्स जैसे–112 (आपातकालीन सहायता), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन/सहायता), 1930 (साइबर हेल्पलाइन) आदि की जानकारी दी। जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने छात्र–छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के लिए मार्गदर्शन किया। इसमें उन्होंने अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने, बैंकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव करने, सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने पर जोर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य भी रखता है। इससे वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। कार्यक्रम के अंत में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा छात्रों को सुरक्षा और आत्मरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उन्हें जागरूक रहने एवं आवश्यक सावधानियों का पालन करने हेतु बताया गया।

<u>इस सेमीनार का उद्देश्य छात्र–छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उन्हें साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया खतरों, सिम स्वैप और ओटीपी चोरी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना और आवश्यक आत्मरक्षा तकनीकें सिखाना था।</u>

<u>इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य, शिक्षकगण और छात्र–छात्राएँ उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 25.09.2025</u>

<u>पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा की उपस्थिति में मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत थानों में गठित 'मिशन शक्ति केन्द्र' के संचालन के सम्बन्ध में की गयी गोष्ठी, सम्बन्धित अधिकारियो को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं उनके विरुद्ध अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त थानों में "मिशन शक्ति केन्द्र" की स्थापना की गयी है। मिशन शक्ति केन्द्रों के संचालन हेतु पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा के बहुउद्देशीय हाल में जनपद के सभी थानों में गठित मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभारी एवं कर्मियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें शासन द्वारा एस0ओ0पी0 संचालन, प्रशिक्षण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। महोदय द्वारा बताया गया कि प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र में महिला/पुरुष निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी/आरक्षी और महिला होमगार्ड तैनात होंगे, संवेदनशील प्रकरणों में मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कर्मियों को न्यूनतम 3–5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा केन्द्र के लिए कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल, शौचालय और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मिशन शक्ति केन्द्र महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला बीट योजना का संचालन करेगा, एफआईआर और प्रकरणों का समानांतर रिकॉर्ड रखेगा, समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेगा तथा पीड़िताओं को काउन्सलिंग, कानूनी सहायता, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र, केंद्र की कार्यकारी मुखिया होंगी, उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक प्रारंभिक जांच, काउन्सलिंग और केस निगरानी में सहयोग करेंगे, नोडल अधिकारी मासिक समीक्षा, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण और प्रदर्शन सुधार की जिम्मेदारी निभाएंगे, क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के मिशन शक्ति केन्द्रों के समग्र समन्वय एवं कार्यक्षमता का पर्यवेक्षण करेंगे और जनपदीय वरिष्ठ अधिकारी संचालन एवं महिला सुरक्षा रणनीति के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कर्मचारियों को ....कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से महिला सुरक्षा, कानूनी प्रावधान, काउन्सलिंग, ट्रामा केयर, साइबर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट, बीएनएस अपराध आदि शामिल हैं। मिशन शक्ति केन्द्र महिला शिकायतकर्ताओं/पीड़िताओं को त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी सहायता प्रदान करेंगे, थानों में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को मजबूत करेंगे और समस्त कर्मचारियों को एस0ओ0पी0 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 25.09.2025

बरवार समुदाय के उत्थान हेतु पुलिस की पहल, थाना मनकापुर में चौपाल आयोजित–

गोण्डा। बरवार समुदाय के उत्थान एवं सामाजिक सुधार हेतु थाना मनकापुर क्षेत्र में चौपाल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण और संवादात्मक बैठक का संचालन किया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक मनकापुर, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग और आंगनवाड़ी/आशा बहू की टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही। बैठक थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिटौरा में आयोजित की गईं, जिसमें लगभग 180 बरवार नागरिक, महिला, नवयुवक और शिक्षार्थी बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों की समस्याओं को समझना, उनकी सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर विकास की दिशा में मार्गदर्शन देना था। विभिन्न विभागों ने शासन स्तर से मिलने वाली योजनाओं, सुविधाओं और विकास से संबंधित जानकारी साझा की। पुलिस विभाग की ओर से पहले अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे बरवार समुदाय के लोगों को अपराध न करने और समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया। नवयुवकों ने आश्वस्त किया कि वे अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। चौपालों में उपस्थित नागरिकों के नाम, पता, परिवार की संख्या और रोजगार की जानकारी मौके पर रजिस्टर में अंकित की गई। बैठक के दौरान नागरिकों को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने–जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी जातियों और समुदायों को मुख्यधारा में लाना और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इस पहल के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने यह संदेश दिया कि सामाजिक सुधार और समुदाय के उत्थान में पुलिस केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।